

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

जगदीश बनाम नारानी आदि

दावा बाबत :- §8A7Aet

मुकदमा नम्बर :- 372/2021

निर्णय दिनांक :- 13.12.2021

वादी की ओर से वकील नोरेन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी सं0.1.ता.6 की ओर से वकील राजेश्वरी ताम्बर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोजा उमड़ी के खाता सं0 40/पा के खसरा सं0 253 की 1.8210 हे०, खसरा सं0 273 की 1.2640 हे० कुल 3.0850 हे० नारानी कृषि भूमि में वादी जगदीश व प्रतिवादी सं0 नारानी प्रतिवादी सं0 2 मारवा, प्रतिवादी सं0 3 बालादेवी, प्रतिवादी सं0 4 विमला प्रतिवादी सं0 5 सन्तोष, प्रतिवादी सं0 6 पुजा प्रत्येक के नाम से 15प3/25प5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वणित वासभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ता 6 क्रमशः नारानी, मारवा, बालादेवी विमला, सन्तोष, पुजा का नाम कलभेजव किया जाकर वादी के नाम से जगदीश को खातेदार कास्ताबा व वणित किया जाते है नुकि प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष के त्माग कर मुन्स कर किया है इसलिये त्माग किये गये हिस्से पर पंजायत विभाग को पंजायत मुल्क अदा करने व व्यक्ति हमि भूमि वक के खन घेता खनभुक्त घेने के उपरान्त से राजस्व रिकार्ड में अमल कराना किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (सिधिर प्रभारी) R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 प्र.गा. के संग अ.-2021
 भादरा जिला हनुमानगढ़
 21/12/21